

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(50)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 13/10/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री सांवरमल बिजारणियां, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/1629/2002) को जिला एवं सेशन न्यायालय, सीकर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सीकर के पद पर मासिक रिटैनेरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री किशोर कुमार सैनी, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सीकर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।


आज्ञा से

ह

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित जिला कलक्टर।
- 9 संबंधित कोषाधिकारी।
- 10 संबंधित अभियोजक।
- 11 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 14 रक्षित पत्रावली।



(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(50)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 13/10/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, सं01, सीकर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु श्री भवानी सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/53/2003) को विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं01, सीकर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।


श्री यशपाल सिंह, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, सं01 सीकर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

५
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


13/10/24
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(50)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 13/10/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं03 सीकर	श्री अनिल कुमार शर्मा (आर/3673/2010)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03 सीकर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं04 सीकर	श्री धर्मेन्द्र सिंह (आर/3085/2015)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं04 सीकर
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, फतेहपुर जिला सीकर	श्री जय कौशिक (आर/134/1997)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, फतेहपुर जिला सीकर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर	श्री पवन कुमार स्वामी (आर/118/1998)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, दांतारामगढ़ जिला सीकर	श्री अरविन्द कुमावत (आर/362/2005)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दांतारामगढ़ जिला सीकर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-


क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री सुभाष कुल्हरी	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं03 सीकर
2	श्री मोहम्मद आरिफ	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं04 सीकर
3	श्री रामचन्द्र माहिध	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, फतेहपुर जिला सीकर
4	श्री राजकुमार	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
5	श्री कमल कुमार शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, दांतारामगढ़ जिला सीकर

आज्ञा से

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि